भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1698

30 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

गन्ना खरीद के लिए एफआरपी

1698. श्रीमती सुप्रिया सुले:

डां. अमोल रामसिंग कोल्हे:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वर्तमान पेराई मौसम के लिए गन्ना खरीद हेतु संशोधित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) की घोषणा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र में, विशेषकर कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे और अहमदनगर जैसे जिलों, जो शीर्ष उत्पादक हैं, में गन्ना उत्पादक किसानों पर संशोधित उचित एवं लाभकारी मूल्य का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या सरकार को महाराष्ट्र में गन्ना उत्पादक किसानों या सहकारी चीनी मिलों से नए एफआरपी की पर्याप्तता के संबंध में कोई अभ्यावेदन या मांग प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्तमान एफआरपी से महाराष्ट्र में किसानों द्वारा वहन की जाने वाली खेती, श्रम, पानी और आदानों की बढ़ती लागत की पर्याप्त भरपाई होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) सरकार द्वारा उक्त राज्य में चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या चूककर्ता मिलों पर कोई जुर्माना लगाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

...2/-

(क): जी हाँ। सरकार ने आगामी चीनी मौसम 2025-26 के लिए 10.25% की मूल रिकवरी स्तर पर 355 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) घोषित किया है। इसमें 10.25% से अधिक रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की वृद्धि पर ₹3.46/क्विंटल का प्रीमियम और रिकवरी में प्रत्येक 0.1% की कमी पर एफआरपी में ₹3.46/क्विंटल की कमी शामिल है। वर्तमान चीनी मौसम 2024-25 के लिए 10.25% के मूल रिकवरी स्तर पर गन्ने का एफआरपी ₹340 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

(ख): कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) द्वारा अनुशंसित एफआरपी सभी गन्ना उत्पादक राज्यों के लिए ए2+एफएल (वास्तविक भुगतान लागत तथा अवरूद्ध पारिवारिक श्रम) उत्पादन लागत को कवर करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादन लागत पर 105.2 प्रतिशत का मार्जिन देती है।

(ग): जी नहीं

(घ): एफआरपी की सिफारिश सीएसीपी द्वारा विभिन्न कारकों जैसे गन्ने की उत्पादन लागत, चीनी और उप-उत्पादों का बाजार मूल्य, चीनी रिकवरी दर, किसानों के लिए उचित मार्जिन, वैकल्पिक फसलों से लाभ आदि को ध्यान में रखते हुए की जाती है।

(ड.) और (च): किसानों को गन्ना बकाया का भुगतान एक सतत प्रक्रिया है और चीनी मिलों की गन्ना मूल्य भुगतान स्थिति की आवधिक आधार पर निगरानी करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को शक्तियां प्रदान की गई हैं तथा भुगतान में देरी होने की स्थिति में उनके द्वारा उचित कार्रवाई की जाती है।

यदि एफआरपी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है या इसके भुगतान में देरी होती है, तो राज्य सरकार द्वारा राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (आरआरसी) जारी करके संबंधित कारखाने के विरूद्ध गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 की धारा 3 (8) के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की चीनी मिलों के विरुद्ध 28 आरआरसी जारी किए हैं, जिनमें से 16 चीनी मिलों ने 100% एफआरपी का भुगतान किया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार नए चीनी सत्र के लिए पेराई लाइसेंस तब तक जारी नहीं करती जब तक कि पिछले सत्रों का बकाया भुगतान नहीं कर दिया जाता।

*****